प्राथमिक शिक्षा की दशा एवं दिशा एक विश्लेषण

डॉ. पूर्णेश नरायण सिंह
सहायक आचार्य
शिक्षक शिक्षा विभाग
एच.आर.पी.जी. कॉलेज, खलीलाबाद

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिमार्जन, उसके सभ्यता एवं संस्कृत में विकास संभव हो पाता है। किसी व्यक्ति, समाज या देश की बुनियाद, विकास एवं उन्नति उस देश के प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने बेसिक तालीम की बात कही थी एवं इसी कारण दुनिया के अधिकांश देश अपने देश के प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु निरंतर प्रयत्न करते हैं। वह अपने सकल आय का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु खर्च करते हैं।

वर्तमान समय में देश के महानगरों एवं बड़े शहरों में अनेक उच्च कोटि के प्राइवेट विद्यालय स्थापित हो रहे हैं। जहां देश के कुलीन वर्ग एवं प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे बेहतर एवं व्यवस्थित शिक्षा की सुविधा प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों एवं शिक्षा की गुणवत्ता देश में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा उच्च कोटि की मानी जाती है। इन प्राइवेट विद्यालयों में प्रायः बालकों के व्यक्तित्व विकास हेतु अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

इसी प्रकार सरकार द्वारा पोषित एवं संचालित शासकीय विद्यालयों में भी बालकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उत्तम शिक्षा हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु दुर्भाग्यवश सरकारों के बदलने के साथ ही शिक्षा मशीनरी में नए प्रयोग प्रारंभ कर दिए जाते हैं जिससे आज उत्तम विद्यालय भवन एवं उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के बावजूद सरकारी विद्यालय शिक्षा हेतु प्रयोगशाला मात्र बनकर रह गए हैं। वर्तमान समय में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में जहां देश के बहुसंख्यक आबादी के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति मात्र की जा रही है जबकि सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा की दिशा एवं दशा बदलने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

21वीं शताब्दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रचनात्मकता, काल्पनिकता, विवेचनात्मक, रोचकता एवं समस्या समाधान पर आधारित कौशल के वातावरण निर्माण से विकसित हो सकती है। भारत में स्कूल जाने वालों की आयु 6-8 वर्ष के मध्य 30.5 करोड (2011 की जनगणना के अनुसार) है जो कुल जनसंख्या के 25 प्रतिशत से अधिक है। यदि इन बच्चों को आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में जनसांख्यिकीय हिस्से की संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग अपने लिए करने की क्षमता है।

हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम का वातावरण बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए सन 1993 में यूनेस्को सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के चार उद्देश्य निर्धारित किए गए जो निम्नलिखित हैं-

(1) बनना सीखना - अर्थात व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना। उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक

Scanned with OKEN Scanner

एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास करना। लोगों को इस तरह तैयार करना कि वह देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सकें तथा अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

(2) **करना सीखना** – यूनेस्को के अनुसार छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है अपितु छात्रों के क्रियात्मक विकास का भी विकास आवश्यक है। छात्रों द्वारा करके सीखने को स्थाई शिक्षा माना गया है आज वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानी जाती है जो स्थाई हो और जिसका उपयोग छात्र आवश्यकता पड़ने पर कर सकें।

(3) **जानना सीखना** – इसका आशय है जानना अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें उस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कब कहां एवं कैसे करना है। यह सच भी है कि किसी शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी कह सकते हैं जब वह छात्र को कुछ भी जानने में उसका सहयोग करें।

(4) **एक साथ रहकर सीखना** – हम उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कह सकते हैं जो बालक को समाज में एक साथ रहने हेतु तैयार करती है और उसे समाज के समस्त कार्यों को करने हेतु तत्पर बनाती है।इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालक को एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करती है।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के निर्धारक तत्व–

(1) पाठ्यचर्या–

शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण संचालित पाठ्यक्रम पर होता है। अतः पाठ्यक्रम में बालक के सर्वांगीण विकास स्थानीय सभा की आवश्यकता के अनुरूप गतिविधियों एवं विषय वस्तुओं को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।

(2) वातावरण–

शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पढ़ने एवं पढ़ाने के उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है। अतः विद्यालय में भय एवं तनाव मुक्त शिक्षा के वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए।

(3) शिक्षा एवं छात्र उपस्थिति–

प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। यहाँ शिक्षक को शिक्षा के इतर कार्य में उलझा दिया जाता है जिससे वह विद्यालय में कम समय दे पाता है तो वही शिक्षक के कम उपस्थिति के कारण छात्रों की उपस्थिति भी प्रभावित होती है। अतः विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(4) शिक्षा समिति–

राज्य सरकारों की साझेदारी एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित अति महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापी एवं सर्व सुलभ हुई। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे नामांकित है। बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है किंतु अभी भी 16 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर एवं 32प्रतिशत बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। विद्यालयीय शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना आवश्यक है। अंतिम बालक भी विद्यालय पहुंचे यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षा समिति को और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण करना होगा इसके लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं–

Scanned with OKEN Scanner

(अ) कक्षा कक्ष में रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन।

(ब) छात्रों के संप्राप्ति स्तर का नियमित एवं निष्पक्ष मूल्यांकन।

(स) विद्यालयतीय अवसंरचना में आकर्षण होना।

(द) विद्यालय में सामाजिक सहभागिता एवं दायित्व का निर्धारण।

(5) अध्यापक –

गुणवत्ता, प्रशिक्षण, सक्रियता एवं बच्चे विद्यालय शिक्षा के केंद्र होते हैं। बच्चों के ज्ञानार्जन एवं व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के विभिन्न भर्तियों से शिक्षक एवं छात्र अनुपात में व्यापक सुधार हुआ है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। देश में अभी भी अनेक ऐसे विद्यालय हैं जो या तो एकल अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं या वही अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत है। अतः ऐसे विद्यालयों के दृष्टिगत सरकार को छात्र शिक्षक अनुपात के मानक पूर्ण करने चाहिए एवं सभी प्रशिक्षित एवं अस्थाई शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनका स्थायीकरण करना चाहिए जिससे वे बिना भय के पूर्ण मनोयोग से शिक्षा कर सकें।

(6) बुनियादी ढांचा –

विद्यालय मात्र इमारत व कक्षा कक्ष ही नहीं है अपितु एक स्कूल में बेहतर शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी होना चाहिए। इसके लिए कक्षा कक्ष में पर्याप्त उजाला, बिजली कनेक्शन, पंखे की व्यवस्था, पठन-पाठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, किचन एवं बालक बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नियत आवश्यक है। वर्तमान समय में अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां सुविधाएं या तो नहीं है या जहां हैं वहां इनका संचालन नहीं हो पा रहा है।

(7) सामुदायिक भागीदारी –

विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में समुदाय विद्यालय-प्रबंध समिति के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन शिक्षा समितियों को प्रभावशाली बनाकर इन की जवाबदेही तय करनी चाहिए तथा उन्हें शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। जिससे यह समय समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, अभिभावक गोष्ठी तथा शिक्षण हेतु आवश्यक एवं अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन एवं संचालन करने में सक्षम हो सकें।

(8) नवाचार –

शिक्षा की गुणवत्ता प्रत्येक सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। प्राथमिक स्तर पर सरकार द्वारा घोषित एवं संचालित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु नवाचार प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं परंतु विद्यालयों में इनका नियमित आयोजन ना हो पाने के कारण आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।विद्यालयों में नियमित नवाचारों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए तथा इस संबंध में समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने अपडेट रहें और साथ ही शिक्षक व छात्र नियमित स्कूल आने की आदत डालें तो शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित ही सुधार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(9) शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यों से मुक्त करना –

शिक्षक का कार्य है शिक्षा प्रदान करना एवं इस हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना किंतु शिक्षकों को शिक्षण के साथ-साथ चुनाव ड्यूटी, जनगणना, मिड डे मील, पोलियो, भवन निर्माण एवं अन्य शिक्षण के उत्तर कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे शिक्षा की व्यवस्था बाधित होती है। वह शिक्षा का स्तर प्रभावित होता है।

(10) न्यूनतम शुल्क निर्धारण –

सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में न्यूनतम शुल्क निर्धारण किया जाना चाहिए। विद्यालय में सबकुछ निःशुल्क होने के चलते अभिभावक स्कूल के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और वह विद्यालय के प्रति रुचि नहीं लेते। अतः सब कुछ फ्री की परंपरा को समाप्त कर विद्यालयों में शुल्क निर्धारण जरूरी है।

(11) मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव की जवाबदेही –

प्राथमिक विद्यालयों में अवुचर एवं चौकीदार की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है और अधिकतर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित है। प्रायः देखा जाता है कि इन विद्यालयों में चोरी, अतिक्रमण, गंदगी, पशुओं का आवागमन रहता है जिससे शिक्षक चाहकर भी शैक्षिक वातावरण का निर्माण नहीं कर पाता। वह इन अव्यवस्थाओं को सुधारने में ही अपना अधिकांश ऊर्जा नष्ट कर देता है। अब सरकार को विद्यालयों की सुरक्षा एवं साफ सफाई हेतु स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों एवं ग्राम प्रधानों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस प्रकार वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली प्राथमिक आवश्यकता है। भारत में शिक्षा के वर्तमान संकट का सामना करने के लिए हमें स्पष्ट अवधारणा के साथ राजनीतिक नेतृत्व की भी आवश्यकता है जो हमारे सपनों का राष्ट्र निर्माण हेतु सक्षम हो सके तथा प्राथमिक शिक्षा की दिशा एवं दशा सुधार सकें।

संदर्भ –

डॉ. सिंह, सुरेश एवं जयपाल डिमरी, डॉ. दीप्ति : उदयीमान, भारतीय समाज में शिक्षा, अनुभव पब्लिकेशन हाउस इलाहाबाद।

डॉ. पांडे, आर. एस. : उदीयमान, भारतीय समाज में शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

खोरिया, डॉ. सुभाष : विकास पीडिया पत्र सूचना कार्यालय।

नारायण विनीत : प्राथमिक शिक्षा की दिशा एवं दशा बदलने के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं हुए न्यूज़ हंट 4-6-2018

Scanned with OKEN Scanner